

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी  
शरद चौधरी पुत्र देवाराम  
निवासी-चौसला, तहसील-नावां  
किस्म प्रकरण : 88 आरटीएक्ट

बनाम

प्रतिवादीगण  
राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार नावां  
संख्या : 792/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
19.11.2025	<p>वादी स्वयं उपस्थित होकर यह वाद पत्र अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत पेश किया है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक : 24.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
24/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। क्लर्क एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली को पेश होने से पत्रावली दिनांक 26/11/25 को पेश हो।</p>	
26/11/26	<p>पत्रावली पेश हुई। क्लर्क एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली को पेश होने से पत्रावली दिनांक 16/11/26 को पेश हो।</p>	
16/11/26	<p>प्रवर्ती एवं उपर उक्त में तहसीलदार द्वारा प्राप्त की गयी है। शा.म. है। उक्त जारी की गयी है। कार्यवाही सम्पन्न नहीं है। मिसल वारंट हस्त मिलान की जा रही है। बलवादी लगी गई। मिसल वारंट फिलि मिले।</p> <p>30/11/26 को पेश हो।</p>	
30/11/26	<p>उक्त पत्रावली उपर, वादी को वाद 88 R.T. Act जीकाट किया जाता है। मिसल विधि दफ्तार ले लिया जा रहा है। मिसल उपर नम्बर ले उपर दोस्त राखिल रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	